


सूचना

1. आपको सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय आर्युविज्ञान परिषद्, नई दिल्ली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जयपुर एवं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर ने कॉलेज में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं की रैगिंग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।
2. यह भी उल्लेखित किया जाता है कि रैगिंग लेना एक कानून अपराध है। अगर भविष्य में आपका पुत्र / पुत्री किसी भी प्रकार की रैगिंग / रैगिंग से संबधित गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं एवं आपके पुत्र / पुत्री की होगी।
3. चूंकि आपका पुत्र / पुत्री (प्रथम एमबीबीएस प्रवेश वर्ष-2019) इस महाविद्यालय में वर्तमान में एमबीबीएस कोर्स में अध्ययनरत् है, अतः आप अपने पुत्र / पुत्री को अच्छी तरह समझा दें कि वे नव प्रवेशित छात्र / छात्राओं (प्रवेश वर्ष-2020-21) की किसी भी प्रकार से रैगिंग नहीं ले एवं इस प्रकार की गतिविधियों में भी भाग नहीं लें।



✓ प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांक : एमसीए/शैक्षणिक-II/2021/ 4270-4328

दिनांक: 22-1-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारिका पेस-1 नई दिल्ली-110077.
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. सभी प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, गर्वमेन्ट मेडिकल कॉलेज जयपुर/कोटा/ उदयपुर/बीकानेर/ जोधपुर/ झालावाड़
5. अतिरिक्त प्रधानाचार्य प्रथम, द्वितीय एवं अतिरिक्त प्रधानाचार्य शैक्षणिक शाखा इस महाविद्यालय को।
6. अधीक्षक जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय/राजकीय महिला चिकित्सालय/ सेटेलाइट हास्पिटल अजमेर।
7. समस्त प्रभारी अधिकारी इस महाविद्यालय/ प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा इस महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को कॉलेज वेबसाइट पर अपलोड करायें।
8. समस्त विभागाध्यक्ष इस महाविद्यालय को।
9. समस्त वार्डन पी.जी./यू.जी.(गर्ल्स एवं बॉयज) छात्रावास।
10. समस्त नोटिस बोर्ड इस महाविद्यालय को।
11. निजी सहायक, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक इस महाविद्यालय को।


✓ प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक